न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बाप, फलोदी

पीठासीन अधिकारी :– सुखाराम पिण्डेल (आर.ए.एस.)

राजस्व प्रकरण संख्या :– 164/2020 **जी.सी.एम.एस. नम्बर :–** 2020/00125
दायर दिनांक :– 27.11.2020 **निर्णय दिनांक :–** 13.12.2024

1. खुशालाराम पुत्र रतनाराम जाति मेगवाल निवासी बाप तहसील बाप जिला फलोदी

–वादीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बाप तहसील बाप जिला फलोदी (राजस्थान)

–प्रतिवादी

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

उपस्थित :–1. श्री मदनसिंह भाटी अधिवक्ता वादी
2 पैरोकार सरकार तहसीलदार बाप

–:: निर्णय ::–

वादी ने जरिये अधिवक्ता राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का इस आश्य से पेश किया कि गांव बाप तहसील बाप में भूमि खसरा नम्बर 639 रकबा 17–10 बीघा वादी के खातेदारी अधिकारों कब्जा काश्त की स्थित है। वादग्रस्त भूमि पर वक्त भू–प्रबन्ध वादी के पूर्वजों का भू–प्रबन्ध से पूर्व खसरा नम्बर 639 रकबा 17–10 बीघा ग्राम बाप पर कब्जा व काश्त होते भू–प्रबन्ध कर्मचारियों व राजस्व कर्मचारियों द्वारा वादी के पूर्वजों के कब्जा व काश्त की जांच किये बिना उक्त वादग्रस्त भूमि राजस्व अभिलेख में वादी के पूवजों के नाम दर्ज नहीं कर खसरा नम्बर 639 में गलत शामिल कर दी गई। वादी के पूर्वजों का उतरोतर उनकी मृत्यु पर्यन्त और उसके बाद से वादी का वादग्रस्त भूमि पर कब्जा व काश्त चला आ रहा है, वादी का वादग्रस्त भूमि पर बारह मासी निरन्तर रहवास है तथा हर वर्ष काश्त कर प्राकृतिक पैदावार प्राप्त कर उसका उपयोग व उपभोग करता आ रहा है। वादी ग्राम बाप तहसील बाप के खसरा नम्बर 639 रकबा 17–10 बीघा भूमि के खातेदारी अधिकारों की घोषणा करवाने का अधिकारी है जिसका यह दावा पेश है।

वादीगण का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादी को जरिये समन तलब किया गया। प्रतिवादी सरकारी पैरोकार ने जवाब पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया। वादी खुशालाराम के बयान पी.डब्लू–1 कलमबंद्व किये गये। वादी के पड़ोसी खातेदारा राधेश्याम पुत्र गोवन्दिराम नाई के बयान पी.डब्लू–2 कलमबंद्व किये जाकर शामिल पत्रावली किये गये। वादी अधिवक्ता और साक्ष्य प्रस्तुत नहीं करना चाहते है इसलिए पत्रावली बहस में रखी गई।

सहायक कलेक्टर
बाप (फलोदी)

अधिवक्ता वादी एवं पैरोकार सरकार की बहस सुनी गयी। पत्रावली में संलग्न वाद पत्र, जवाब दावा, जमाबंदी, गिरदावरी का गहनता से अध्ययन किया गया। बहस पर मनन करने के पश्चात प्रकरण का बिन्दुवार विवेचन एंव निर्णयन निम्नानुसार है–

1. वादपत्र अनुसार वादी के पूर्वजों का वक्त सेटलमेंट से पूर्व से वादग्रस्त भूमि पर कब्जा काश्त चला आ रहा है और वर्तमान में वादी का सरहद मौजा बाप पटवार क्षेत्र बाप के खसरा नम्बर 639 में से रकबा 17–10 बीघा जो कि वादग्रस्त भूमि है पर कब्जा काश्त है। बाप तहसील के कुछ गांवों को उपनिवेशन क्षेत्र में लिया गया है जिनमें पटवार मण्डल बाप भी सम्मिलित है। उपनिवेशन विभाग के क्षेत्राधिकार में आये गांवों में कब्जे के आधार पर खातेदारी दिये जाने के प्रावधान है। इसलिये वादी को विधि अनुसार प्रतिकूल कब्जे के आधार पर खातेदारी अधिकार प्राप्त हो चुके है। इसलिये वादी उपरोक्त वर्णित खसरान् की भूमि पर खातेदारी अधिकारों की घोषणा करवाने के अधिकारी है।

तहसीलदार बाप के जवाब एवं पत्रावली के संलग्न गिरदावरी अनुसार वादग्रस्त भूमि राजकीय भूमि है जिस पर प्रतिकूल कब्जे के आधार पर खातेदारी अधिकार नहीं प्राप्त किये जा सकते है। वादकारण नहीं पैदा होने के कारण, प्रथम दृष्ट्या वाद वादी के पक्ष में साबित नहीं होने के कारण वाद खारिज किये जाने योग्य है।

जमाबंदी के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादग्रस्त भूमि राजकीय भूमि/सिवाय चक भूमि है। प्रतिकूल कब्जे का सिद्वान्त राज्य पर बाध्यकारी नहीं है। पत्रावली के संलग्न दस्तावेजातों के अनुसार विधि के प्रावधानानुसार समय–समय पर उक्त वादग्रस्त भूमि से वादी/अतिक्रमी को बेदखल किया जाता रहा है।

2. 'प्रतिकूल कब्जे के आधार पर खातेदारी' के सम्बंध में माननीय उच्च न्यायालय एवं माननीय राजस्व मण्डल के महत्वपूर्ण निर्णय–

(1) आर.आर.डी. 2016 पेज 464/चेनाराम और अन्य विरूद्व बोर्ड ऑफ रेवेन्यू और अन्य–माननीय उच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि प्रतिकूल कब्जे के आधार पर खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं किये जा सकते है।

(2) आर.आर.डी. 2011 पेज 508 जगदीश बनाम सीताराम पूर्ण पीठ निर्णय दिनांक 03.06.2011– इस निर्णय में माननीय राजस्व मण्डल ने अभिनिर्धारित किया है कि "Rajasthan Tenancy act does not have provision to confer tenancy right to adverse possessor. This bench also inter that providing tenancy right to advrse possessor is a retreating step with regard to land reforms and such a conferment of tenancy right is against the basic spirit of this special legislation."

(3) आर.आर.डी. 2018 पेज 715 सरजू राव बनाम अमृतलाल पूण पीठ निर्णय दिनांक 30.08.2018– इस निर्णय में भी जगदीश बनाम सीताराम निर्णय का हवाला देते हुये माननीय राजस्व मण्डल ने यह अभिनिर्धारित किया है कि प्रतिकूल कब्जे के आधार पर खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं हो सकते है।

सहायक कलेक्टर
बाप (फलोदी)

(4) बग्गा बनाम सुरेन्द्रसिंह माननीय राजस्व मण्डल की वृहद पीठ का निर्णय दिनांक 15.10.1990– प्रतिकूल कब्जे का सिद्धान्त राज्य पर बाध्यकारी नहीं है। एक अतिचारी का कब्जा राज्य के विरूद्ध प्रतिकूल नहीं हो जाता है। एक खातेदार अभिधारी भी भूमि के स्वामित्व का अधिकार धारण नहीं करता, वह केवल पट्टेदार है, राज्य भू–धारक/भूमि का स्वामी बना रहता है। एक खातेदार अभिधारी को भूमि को धारित करने और उस पर खेती करने का अधिकार है जो कुछ शर्तो के अध्याधीन है। यदि उन शर्तो में से किसी का उल्लंघन किया जाता है तो राज्य को उस भूमि को वापिस लेने का अधिकार है।

3. किसी व्यक्ति को खातेदारी अधिकार राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 12(2), 13, 15, 19, 189(2), 193, 194(2) व धारा 101 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 सपठित नियम 18 राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम 1970 और राजस्थान उपनिवेशन (सामान्य उपनिवेश) शर्ते 1955 की शर्त संख्या 9 के अन्तर्गत ही प्राप्त हो सकते है। निर्विवाद रूप से वादीगण ने उक्त किसी भी धारा के अन्तर्गत खातेदारी अधिकार प्राप्त करने का अभिवचन नहीं लिया है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 में प्रतिकूल कब्जे के आधार पर किसी व्यक्ति को खातेदारी अधिकार प्रदान नहीं किये जा सकते है। अधिनियम के तृतीय अनुच्छेद में भी प्रतिकूल कब्जे के आधार पर खातेदारी अधिकारों की घोषणा हेतु वाद प्रस्तुत किये जाने का कोई प्रावधान नहीं है। अतः न्यायालय के अभिमत में वादी को वादकरण हासिल नहीं होने के कारण, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 में प्रतिकूल कब्जे के आधार पर खातेदारी के प्रावधान नहीं होने के कारण वादी का वाद अस्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

–:: आदेश ::–

अतः उपर्युक्त विवेचनानुसार वादी का वाद अन्तर्गत धारा 88,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 साबित नहीं होने के कारण खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 13.12.2024 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

13/12/24

(सुखाराम पिण्डेल आर.ए.एस.)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बाप (जोधपुर)